

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-14/एम 7-230/2009(अंश) 1315 पटना, दिनांक... 31/8/15 बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-18 की उपधारा-27 एवं धारा-22 की उपधारा (1)(ट) यथा अद्यतन संशोधित में वर्णित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 15/एम व 3-070/93 उ0शि0-2774 दिनांक 06.09.10 को अवक्रमित करते हुए बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के अधिषद (Senate) एवं अभिषद (Syndicate) के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है:-

अधिषद (Senate) के सदस्य :-


क्र0	नाम एवं पता
1.	श्री लखन ठाकुर, पिता-स्व0 रब्बी ठाकुर, ग्रा0+पो0-टेकुना, भाया-प्रतापगंज, जिला-सुपौल
2.	श्री धनिक लाल मुखिया, पिता-सोखी मुखिया, ग्रा0-शाहपुर, पो0-शाहपुर मझौल, जिला-सहरसा

अभिषद (Syndicate) के सदस्य :-

क्र0	नाम एवं पता
1.	श्रीमती वीणा भारती, पति-स्व0 विश्वमोहन भारती, ग्रा0+पो0-डपरखा, भाया-त्रिवेणीगंज, भाया-सुपौल।
2.	श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव, 11, पटेल पथ, पटना।
3.	प्रो0 जवाहर झा, गंगजला, सहरसा-852201

2. मनोनीत सदस्यों की कालावधि (tenure) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों की होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(सुनील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञाप संख्या:-14/एम 7-230/2009(अंश)-- 1315 पटना, दिनांक..... 31/8/15
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञाप संख्या:-14/एम 7-230/2009(अंश)-- 1315 पटना, दिनांक..... 31/8/15

प्रतिलिपि :- सभी मनोनीत व्यक्तियों/संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर से अनुरोध है कि वे इसे विभागीय वेब साईट पर अपलोड कर दें।



